स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. 28(सी)/9/2012-एस.आर.(एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 4 जनवरी, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना-800001।

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची-834001।

विषय: श्री गौरी शंकर प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग के राज्य पुर्नावंटन पर निर्णय।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार ने श्री गौरी शंकर प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग के राज्य पुर्नावंटन के सम्बंध दिनांक 09.07.2012 की बैठक में विचार किया। समिति का निर्णय नीचे दर्शाया गया है:-

" अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति नीति के तहत भारत सरकार के पत्र संख्या-27/26/2006-एस.आर.(एस.) दिनांक 24.06.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री गौरी शंकर प्रसाद के मामले पर विचार किया गया। श्री प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, इनका गृह जिला रोहतास (बिहार) है एवं अप्राप्त विकल्पी हैं। विचारोपरान्त श्री प्रसाद को बिहार राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।"

2. समिति की अनुशंसाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अतः श्री गौरी शंकर प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग का राज्य पुर्नावंटन झारखण्ड राज्य से बिहार राज्य किया जाता है।

3. इस आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके भारत सरकार को अवगत कराये। आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वेबसाईट (persmin.nic.in→DOPT→State Reorganization→Recent orders→Bihar) पर जाँच लें।

भवदीय,
हस्ता./-
(के.पि.के. नंबिशन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24623711

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।

2. उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।

3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, सचिवालय, पटना, बिहार-800023।

4. निदेशक, कृषि निदेशालय, पटना, बिहार।

5. श्री गौरी शंकर प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुख्यालय संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय, कृषि विभाग, मीठापुर, पटना-800001।

भवदीय,

(के॰पि॰के॰ नंबिशन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24623711